पहले रिलीज किया जाता है और अपराह्न और रात्रि में छूटने वाली गाड़ियों का आपात कोटा उसी दिन रिलीज किया जाता है। इस प्रणाली में बदलाव करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Construction of rail and road bridges at Chhitauni

7858. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) what arc the details of the scheme pertaining to the construction of rail and road bridges at Chhitauni;

(b) what are the details of the progress made so far in regard to its construction work together with the details of the remaining work; and

(c) by when it is likely to become operational?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF): (a) The work is sanctioned on a cost sharing basis between the Railways, Ministry of Water Resources and the Governments of Uttar Pradesh and Bihar. The incremental cost of the road bridge is to be shared between Uttar Pradesh and Bihar.

(b) The guidebunds, approach banks and bridge substructure have been completed. The remaining work is girdering of the Railway bridge, track laying and linking and construction of road bridge super structure and construction of road proper.

(c) The progress of the work is being regulated owing to the other co-sharers not coming forth with their shares as per programme. If they come forth, the work would be completed by 31.12.95.

रेल विभाग द्वारा जारी मानार्थ पास

7859. श्री सत्य प्रकाश मालवीय: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन व्यक्तियों के नाम क्या-क्या हैं, जिन्हें रेल यात्राओं के लिए मानार्थ पास जारी किये गये हैं तथा इस संबंध में अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस प्रकार के पास जारी करने के लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ): (क) उन व्यक्तियों/संगठनों के नाम अनुपत्र में दिए गए हैं जिनको मानार्थ कार्ड पास जारी किए गए हैं जो 10.6.94 तक वैध थे। [देखिए परिशिष्ट 170, अनुपत्र सं॰ 149]। दो किस्म के कार्ड पास प्रदान किए जाते हैं यथा पहला दर्जा और दूसरा दर्जा। पहले दर्जे के पास से पासधारी पहले दर्जे और वा॰कु॰ शयनयान में यात्रा कर सकता है। कुछ मामलों में, मैरिट के आधार पर, पहला दर्जा वातानुकूल और/या राजधानी/शताब्दी एक्सप्रैस में यात्रा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। उसी दर्जे में एक सहयोगी अथवा दूसरे दर्जे में एक परिचर को यात्रा करने की सुविधा भी मुहैया की जाती है लेकिन यह प्रत्येक मामले के औचित्य पर निर्भर करता है।

(ख) रेल मंत्रालय द्वारा ऐसे कार्ड पास अखिल भारतीय स्वरूप के सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक, खेलकूद तथा शैक्षणिक आदि कार्यकलापों के प्रति समर्पित प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा संगठनों को प्रदान किए जाते हैं तथा ये प्रत्येक मामले के औचित्य और गुण-दोष पर आधारित होते हैं।

Purchasing Bilingual Computers

7860. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:
SHRI DIGVIJAY SINGH:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether any proposal/demand regarding purchase of computers having working capacity in both the English and Hindi languages is lying under Government's consideration/decision; and

(b) if so, what are the details thereof and the decision if any, taken/likely to be